कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मथुरा

पत्र सं0 :–सी0एफ0ओ0 / अ0सु0 / नवी0 / मथुरा / 2016 दिनांक – 29-04-2016

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
रमनलाल सोरावाला इण्टरनेशनल स्कूल,
बल्देव रोड, मथुरा।

विषय :– आपके शिक्षण संस्थान रमनलाल सोरावाला इण्टरनेशनल स्कूल,बल्देव रोड, मथुरा में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्था के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–आपका पत्रांक दिनांक –24.04.2016।

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषय में विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री इन्द्रजीत शर्मा द्वारा कराया गया जिनकी निरीक्षण आख्या दिनांक–26.04.2016 के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1. वर्तमान में विद्यालय भवन भूतल व प्रथम तल पर बना हुआ है एवं द्वितीय व त्रितीय तल प्रस्तावित है।
2. विद्यालय भवन तक अग्नि शमन विभाग के वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकते हैं एवं अग्नि शमन कार्य कर सकते है।
3. विद्यालय भवन में अग्नि शमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गये तथा जिनकी निरीक्षण, परीक्षण फीस राजकीय कोष में चालान सं0–10023 दिनांक–26.04.2016 द्वारा रु0–80.00 जमा करा दिया गया है।
4. प्रबन्धक को मानकोनुसार अन्य अग्निशमन व्यवस्था स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया जिसको प्रबन्धक द्वारा 03 माह में पूर्ण किया जाना नितान्त आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय भवन में उपलब्ध अग्नि शमन उपकरणो को हमेशा कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में रखा जाये।
2. संलग्न मानचित्र के अतिरिक्त भवन निर्माण की स्थिति में एन.बी.सी. मानकों के अनुसार अग्नि शमन व्यवस्था कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. यदि भवन में कोई बेसमेन्ट उपलब्ध है तो उसका उपयोग किसी भी दशा में शिक्षण कार्य हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
4. विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
5. विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को समय समय पर अग्नि शमन व्यवस्था का प्रशिक्षण प्रबन्धक द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए तथा राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने की दशा में आवेदक को विद्यालय भवन मे स्थापित अग्नि शमन व्यवस्था के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है तथा प्रतिवर्ष विद्यालय भवन की अग्नि शमन व्यवस्था को अग्नि शमन विभाग से निरीक्षण परीक्षण कराकर फीस आदि राजकीय कोष में जमा कराकर प्रमाण पत्र के नवीनीकरण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्रबन्धक की होगी। यदि निरीक्षण के दौरान अग्नि शमन व्यवस्था अकार्यशील दशा / अनुपलब्ध की स्थिति में पायी जाती है तो यह प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

29/04/16

(दीपक शर्मा)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मथुरा

Principal
Ramanlal Shorawala International School
MATHURA